



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण शुद्धि-पत्र

Duplicate-copy CRSLP37227970

12/12/2022



जिला का नाम	कोडरमा	अनुमंडल नाम	कोडरमा	अंचल का नाम	कोडरमा सदर	हल्का	हल्का-2A			
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग	वर्तमान(VOL)	पृष्ठ संख्या वर्तमान	4	पाना न.	244			
क्रमिक संख्या	केस न.	मीजा का नाम/ राजस्व धाना न	धाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिपूत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाला भाग वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाला न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	लागान	राजस्तर 2 अपगत तिथि
27970	3381 /R27 2022 - 2023	तिथि/प/ 244	कोडरमा सदर	12/12/2022	By Sale Registration दृष्टि Dated 30/09/2022	631 66 47	631 7457 0.6 दिसमील	10		

केता का नाम :
(SUSHANT KUMAR)पिता-SHAMBHU PRASAD
BARNWAL, जाति---, पता-JHUMRI TELAIYA
GANDHI SCHOOL ROAD GANDHI HIGH SCHOOL
KE PASS PO JHUMRI TELAIYA PS TELAIYA DIST
KODER)

जमादारी रियत का नाम :
MANJU DEVI JAIN-पति-PADAM KUMAR JAIN

विक्रेता का नाम :
MANJU DEVI JAIN, पति-PADAM KUMAR JAIN, जाति-
---, पता-JHUMRI TELAIYA NILAM VASTRALAYA
GALI PO JHUMRI TELAIYA PS TELAIYA DIST
KODERMA

राजस्व कर्मचारी हल्का-2A को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएं हस्तान्तरित
पत्र एक कंप्यूटर जनित प्रति है
यह पत्र केवल प्राप्ति की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Signature valid
Digitally signed by
ANIL KUMAR
अंचलाधिकारी कोडरमा सदर

कोरोना के उड जाएंगे प्राण, जब सडक पर न जाएं हन्सान

Sushant Kumar

आदेश

तिथि

Dec 12
2022

आदेश पर की गई
कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा तिलैया थाना कोडरमा सदर

खाता	प्लॉट	रकबा
631	7457	0 एकड़, 0.6 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
MANJU DEVI JAIN	पति	PADAM KUMAR JAIN

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 4725 दिनांक MMM d yyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
MANJU DEVI JAIN	पति	PADAM KUMAR JAIN

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिसके अनुसार भूमि रैयती खाते की है, इस नामान्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। क्रेता का भूमि पर दखल है इन्होंने नामान्तरण स्वीकृत करने की अनुशंसा की है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के अलोक में नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **10 रूपये**
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
ANIL KUMAR
अंचलाधिकारी कोडरमा सदर

Sushant Kumar